# छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

**निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड,**
**शंकरनगर, रायपुर**

**<u>अपील क्रमांक 91/2006</u>**

**श्री मनोहर जेठानी . . . . . अपीलार्थी**

**(छत्तीसगढ़)**

**विरूद्ध**

**जन सूचना अधिकारी . . . . . प्रतिअपीलार्थी**
**एवं अपीलीय अधिकारी,**
**लोक स्वास्थ्य परिवार**
**कल्याण विभाग,**
**मंत्रालय, डी.के.एस.**
**भवन, रायपुर**
**(छत्तीसगढ़)**

## :: आदेश ::

( 09 मई 2006 )

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23/2/2006 को सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर प्रतिअपीलार्थी से यह जानकारी चाही गई थी कि नव गठित छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौन्सिल रजिस्ट्रार/सचिव कार्यालय के गठन की तिथि एवं वर्ष विधिवत् किया गया था। किन्तु अनावेदक के द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई और अपीलार्थी ने बताया कि प्रथम अपील अधिकारी द्वारा उनका अपील लेने से इंकार कर दिया।

अपील में दर्शाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष की आयोग द्वारा सुनवाई की गई तथा प्रतिअपीलार्थी द्वारा अपील के संबंध में दिये गये बिन्दुवार उत्तर का भी

अवलोकन किया गया । प्रतिअपीलार्थी द्वारा उत्तर में बताया गया कि विधानसभा की समिति द्वारा जाँच कर प्रकरण की आगामी जाँच आर्थिक अपराध ब्यूरो से कराने की अनुशंसा की गई है और प्रकरण से संबंधित कोई भी दस्तावेज और नस्ती कार्यालय में नहीं है यह सूचना पत्र दिनांक 1–4–2006 के द्वारा अपीलार्थी को अवगत करा दिया गया था। प्रतिअपीलार्थी द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि केवल गठन की तिथि एवं वर्ष के संबंध में जो जानकारी चाही गई है, उसमें आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की जाँच से सीधा संबंध नहीं है और यह जानकारी पिछले राजपत्रों का अवलोकन करके अथवा गठन के संबंध में जारी आदेश जहां–जहां भेजा गया हो वहां से प्राप्त करके यह जानकारी उन्हें दी जा सकती है और उन्हें यदि आवश्यक हो तो आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में रखे रिकार्ड का अवलोकन करके भी प्रदान की जा सकती है। इसी प्रकार प्रथम अपील अधिकारी द्वारा भी अपील अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वर्तमान स्थिति में प्रकरण में यह निर्देश दिये जाते हैं कि जन सूचना अधिकारी द्वारा यह छोटी–सी सूचना मांगी गई है, वह अपीलार्थी को सभी स्त्रोतों में से जहां से भी प्राप्त हो सकता है प्राप्त करके आदेश जारी होने के 15 दिनों के अंदर उन्हें प्रदान की जाावे। जहां तक प्रथम अपील अधिकारी का प्रश्न है भविष्य में प्रथम अपील अधिकारी अपीलार्थी के आवेदन स्वीकार करने से इंकार न करे और साथ ही अपीलार्थी यदि चाहें तो डाक से अथवा फैक्स से अपील भेज सकते हैं।

**( ए. के. विजयवर्गीय )**
**राज्य मुख्य सूचना आयुक्त**